


बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना



परिवहन विभाग
हर सफर का हमसफर

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु बस उपलब्ध कराने की योजना

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आन जानों को कारी परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।

अनुदान का स्रोत

लामुको को बस के कय पर प्रति बस 5 लाख ₹0 अनुदान का सुगतान किया जाएगा।

बाहन का प्रकार

इस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं निनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी।

लामुक की अर्हताएं

- लामुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन कराने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लामुक के पास चालन अनुज्ञापि होनी चाहिए।
- लामुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नही होना चाहिए।
- किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लामुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए।
- सुयोग्य क्षेत्रों से एक से अधिक लामुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है।

1. जाति प्रमाण-पत्र	2. आवासीय प्रमाण-पत्र
3. वैदिक योग्यता प्रमाण पत्र	4. आधार कार्ड
5. चालन अनुज्ञापि	

योजना की समय-सारणी

क्र.	कार्य का विवरण	समयवधि
1.	योजना का प्रारंभ एवं जागरूकता।	05.12.2023 से 19.12.2023
2.	प्रखंडकार आवेदन करने की अंतिम तिथि।	06.12.2023 से 27.12.2023
3.	जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडकार एक कागजित आवेदनों के आधार पर उरीकता सूची का निर्धारण।	28.12.2023
4.	जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा योग्य बरीकत सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समन समिति द्वारा लामुक का चयन करना।	29.12.2023
5.	उरीकृत लामुको की सूची एवं उरीकता सूची को सम्बंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करने हेतु तीन दिनों की समन सीमा में आवेदन आमंत्रित करना।	02.01.2024
6.	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदि निराकरण के परभाव अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाना।	06.01.2024
7.	जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा अंतिम लामुको को सूचनपत्र का लापिल करना।	09.01.2024 से 09.01.2024
8.	बस राज्य के बाद चयनित लामुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना।	09.01.2024 से लगातार
9.	जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लामुक के जारे में सुगतान करना।	अवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के बाद

सचिव
परिवहन विभाग, बिहार

पात्रता

- बिहार के निवासी: केवल बिहार के निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासी: योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को मिलेगा।
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन: Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
- आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जमा करने होंगे।
- सत्यापन: आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

योजना के फायदे

- बेहतर परिवहन सुविधाएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता होगी।
- रोजगार के अवसर: नए परिवहन साधनों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा: यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

<https://sarkariyojanaindia.in/>